पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

(3)

श्री

पुनर्विलोकन प्र. क्रं.   /17–18

कार्यालय आयुक्त
16-1-18 को
प्राप्त / 16-1-18

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र–

PBR/पुनर्विलोकन/खरगोन/भू.रा/2018/0682

अंबिकाबाई पति स्व.सेवाशंकर पुरोहित, उम्र 62 साल,
धंधा गृहकार्य, निवासी नर्मदा मार्ग, कालीदास भवन के सामने,
महेश्वर जिला खरगोन

—प्रार्थी

वि रू द्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री .... द्वारा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 03-01-18 को प्रस्तुत।
07
03-01-2018
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1. शिवनारायण पिता मोढीराम पुरोहित, उम्र 70 साल,
धंधा पेन्शनर, निवासी विवेकानंद कॉलोनी धामनोद रोड
महेश्वर, तह.महेश्वर जिला प.निमाड़ खरगोन
2. गोपालकृष्ण पिता स्व.मोढीराम पुरोहित, उम्र 78 साल,
धंधा पेन्शनर, निवासी 1, साईनाथ कॉलोनी, तिलक नगर,
इन्दौर, जिला इन्दौर
3. मुरलीधर पिता स्व.मोढीराम पुरोहित, उम्र 65 साल,
धंधा पेन्शनर, निवासी विवेकानंद कॉलोनी, धामनोद रोड
महेश्वर तह.महेश्वर जिला प.निमाड़ खरगोन
4. गिरधारीलाल पिता स्व.मोढीराम पुरोहत, उम्र 79 साल,
धंधा पेन्शनर, निवासी एच–विज्ञान नगर अन्नपूर्णा रोड,
इन्दौर जिला इन्दौर
5. प्रमोद पिता स्व.सेवाशंकर पुरोहित, उम्र 42 साल,
धंधा नौकरी, निवासी नर्मदा मार्ग महेश्वर, तह.महेश्वर जिला प.निमाड़
6. आलोक पिता स्व.सेवाशंकर पुरोहित, उम्र 40 साल,
धंधा पूजा अर्चना, नि. नर्मदा मार्ग, महेश्वर,तह.महेश्वर जिला प.निमाड़
7. कमलकिशेर पिता स्व.दुर्गाशंकर पुरोहित, उम्र 64 साल,
धंधा   निवासी, 86 कारसदेव नगर सुखलिया रोड इन्दौर,
8. मनीषा पिता स्व.सुभाष पुरोहित, उम्र 50 साल,
धंधा गृह कार्य, निवासी 86, कारसदेव नगर सुखलिया रोड, इन्दौर
9. लक्ष्मीबाई पति स्व.सुनील पुरोहित, उम्र 30 साल,
धंधा नौकरी, निवासी 86 कारसदेव नगर सुखलिया रोड, इन्दौर,
10. पूजा पिता स्व.सुनील पुरोहित, अज्ञान,तर्फे पालनकर्ता माता लक्ष्मीबाई
11. राशिका पिता स्व.सुनील पुरोहित, अज्ञान, तर्फे पालनकर्ता माता लक्ष्मीबाई
दोनो निवासी 86, कारसदेव नगर सुखलिया रोड इन्दौर
12. श्रीमती अन्नपूर्णा जोशी पिता मोढीराम पुरोहित, उम्र 81 साल,
धंधा कुछ नहीं, निवासी तुलसीराम जोशी 65 लक्ष्मीनगर
पुराने आर.टी.ओ. कार्यालय के पास प्रताप नगर उदयपुर जिला उदयपुर
राजस्थान,

—निरंतर

13. श्रीमती दुर्गाबाई पति प्रकाशचंद्र जोशी, उम्र 74 साल, धंधा गृह कार्य, निवासी 292, द्वारकाधीश कॉलोनी, एरोड्रम रोड, इन्दौर,
14. श्रीमती भगवती पति अशोक जोशी, उम्र 63 साल, धंधा गृहकार्य, निवासी पानी की टंकी के सामने मन्दसौर, जिला मन्दसौर म.प्र.
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद महेश्वर तह.महेश्वर जिला प.निमाड़ खरगोन

———प्रतिप्रार्थीगण

वाद— नामान्तरण बाबद

श्रीमान,

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि —

1. प्रार्थी (मूल प्रतिप्रार्थी कं. दो) द्वारा श्रीमान कलेक्टर साहब, जिला खरगोन, खरगोन के न्यायालय के प्र.कं. 39/अपील/2015—16 में दिनांक 17—7—2017 को प्रतिप्रार्थी कं. एक लगायत चार द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुऐ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद महेश्वर की कार्यवाहीं को निरस्त कर प्रकरण में नऐ सिरे से विधिवत् संपूर्ण अभिलेखों का परीक्षण कर जो आदेश पारित किया, उससे असंतुष्ट होकर इस माननीय राजस्व मंडल के समक्ष दिनांक 11—10—2017 को पुनरीक्षण प्रस्तुत की थी जिसमें पैरा नंबर 12 में प्रार्थी ने यह स्पष्ट रूप से अभिवचन किये है कि म.प्र.शासन की अधिसूचना कं. 1883सी.आर. 66 दिनांक 27 अप्रैल 1966 (जो म.प्र. राजपत्र में दिनांक 3 जून 1966 को प्रकाशित की गई है) के अंतर्गत धारा 330 एवं धारा 331 म.प्र.नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षण की राज्य शासन की शक्ति इस माननीय म.प्र. रेवेन्यु बोर्ड को प्रत्यायोजित होने से इस माननीय बोर्ड के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/पुनर्विलोकन / खरगोन / भू.रा. / 2018 / 0682

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । राजस्व मण्डल को म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 331 के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार को नहीं होने से प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमिता नहीं है । फलस्वरूप आवेदिका की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	